

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुझुनू

पीठासीन अधिकारी - हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 133/2023

दायर दिनांक-19.09.23

1 पुनम देवी पुत्री शैतानाराम जाति मेघवंशी निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू।

- वादी

बनाम

1. सविता देवी पुत्री शैतानाराम
2. मुकेश कुमार दत्तक पुत्र शैतानाराम
3. नरसाराम पुत्र माला
4. बोदूराम पुत्र माला
5. मन्नाराम पुत्र माला समस्त जाति मेघवंशी निवासी चांदनी चौक चिराना तहसील नवलगढ़।
6. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री बैला सैनी व पंकज जांगिड़

वकील प्रतिवादी :- एकपक्षीय

दावा बाबत विभाजन


-:: निर्णय ::-

दिनांक : 28.06.2024

वाद वादी दिनांक 16.4.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2024/1686 दिनांक 22.05.2024 के द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी द्वारा सहमति जाहिर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। फलस्वरूप मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 1.03 है 0 खसरा नम्बर 165 रकबा 2.20 है 0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.23 है 0 का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	पुनम देवी पुत्री शैतानाराम जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार	138/2	0.27	
2	सविता देवी पुत्री शैतानाराम जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार	138/3	0.27	
3	मुकेश कुमार दत्तक पुत्र शैतानाराम जाति मेघवंशी	138/4	0.27	
4	नरसाराम पुत्र माला जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	138/1 165/1	0.22 0.58	

  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़.

	बोदू राम पुत्र माला जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	165/3	0.81	
6	मन्नाराम पुत्र माला जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार	165/2	0.81	

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*हजाराम*  
 28/6/24  
 सहायक बहकई सिंह (यौदव)  
 सहायक कालक्टरेट (फोरेस्ट डिप्टी)  
 नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ  
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)नवलगढ

मुकदमा नम्बर 133/2023

दावा : विभाजन

(पुनम देवी बनाम सविता आदि)

अन्तिम डिक्री


यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब - मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बागोरियां की ढाणी मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 1.03 है0 खसरा नम्बर 165 रकबा 2.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.23 है0 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	पुनम देवी पुत्री शैतानाराम जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार	138/2	0.27	
2	सविता देवी पुत्री शैतानाराम जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार	138/3	0.27	
3	मुकेश कुमार दत्तक पुत्र शैतानाराम जाति मेघवंशी	138/4	0.27	
4	नरसाराम पुत्र माला जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	138/1 165/1	0.22 0.58	
5	बोदू राम पुत्र माला जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार रहन बदस्तुर	165/3	0.81	
6	मन्नाराम पुत्र माला जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार	165/2	0.81	

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

  
(हवाई सिंह यादव)  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
मुकाम बईजलास नवलगढ